F.No. 3/6/2021-P&PW (F) Government of India Ministry of Personnel, PG & Pensions Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan Khan Market, New Delhi-110 003 dated: 11.10.2022

Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (GPF) in a financial year-regarding.

In accordance with General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. However, there was no ceiling on the total amount of subscription of a subscriber into his GPF account in a financial year.

- 2. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 have been amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial years together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].
- 3. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions of the GPF Rules, 1960 regarding limit of subscription under GPF in a financial year by a subscriber may be given wide publicity to all Government servants and, more particularly, to the personnel dealing with the GPF matters in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there-under, for strict implementation.

(Vishal Kumar)

Under Secretary to the Govt of India

All Ministries/Departments/Organisations (as per standard list)

फा. सं.3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय पॅशन और पॅशनभोगी कल्याण विभाग तृतीय तल, लोक नायक अवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003 कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वितीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से संबंधित।

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबतसामान्य भविष्य निधि की अंशदान राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलडिधयों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, किसी वितीय वर्ष में किसी अंशदाता के अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में किए अंशदान की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी।

- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को दिनांक 15.06.2022 कीअधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया है।दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वितीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के तहत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वितीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित, आयकर नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उपखंड(i) में संदर्भित सीमा, (वर्तमान में पांच लाख रूपये)से अधिक नहीं होगी [वित मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604(ग)द्वारा यथाअंतस्थीपित]।
- सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि किसी वितीय वर्ष में जीपीएफ के तहत अंशदान की सीमा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के उक्त संशोधित उपवंधीं का सभी सरकारी कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें विशेष रूप से मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्य कार्यालयां में सामान्य भविष्य निधि का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं। - fa211d

(विशाल कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दिनांक: 11,10,2022

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)